न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–20/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00044)

1. अब्दुल मजीद पुत्र बुन्दू खॉ जाति मुसलमान, निवासी तेली दरवाजा रोड़, सांभर लेक तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा, मु0 सांभर लेक जिला जयपुर।
2. आसिया बेवा बुन्दू खॉ,
3. अब्दुल हफीज पुत्र बुन्दू खॉ,
4. अब्दुल सलाम पुत्र बुन्दू खॉ,
5. अब्दुल शकूर पुत्र बुन्दू खॉ,
6. शहीद पुत्र अब्दुल मजीद,
   समस्त जाति मुसलमान निवासी सांभर लेक तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
7. परवीन बानो पत्नी अब्दुल गफूर,
8. अब्दुल शरीफ पुत्र अब्दुल गफूर, जाति मुसलमान निवासी छोटा बाजार सांभर लेक, जिला जयपुर।
9. मुस्कान पुत्री अब्दुल गफूर उम्र 10 वर्ष,
10. आसीद पुत्र अब्दुल गफूर, उम्र 4 वर्ष,
11. नरगिस पुत्री अब्दुल गफूर उम्र 8 वर्ष, नाबालिंग जरिये कुदरति वलिया माता परवीन बानो पत्नी अब्दुल गफूर मुसलमान निवासी आलमपुरा छोटा बाजार सांभर जिला जयपुर।
12. फरजाना पुत्री अब्दुल गफूर, पत्नी शकील खॉ मुसलमान निवासी बरडोटी सांभर लेक जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. **श्री घीसा लाल कुमावत एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 07.11.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 277 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 279 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सिवानिया तहसील फुलेरा जिला जयुपर में स्थित है, जो इस्माईल, इब्राहीम पुत्र घासी शाह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा उक्त आराजी में से

P.T.O.

खसरा नम्बर 277/2 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 279/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा अपीलान्ट के पिता बुन्दू खॉ पुत्र अजम खॉ ने उक्त इस्माईम व इब्राहीम से दिनांक 04.07.1975 को अन्य आराजी के साथ क्रय की थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 47 दिनांक 11.11.1976 को बुन्दू खॉ के नाम खोला जाकर इसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया गया एवं बुन्दू खॉ के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 08.09.1990 को बुन्दू खॉ के वारिसान के नाम खोला जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त क्रयशुदा आराजी बुन्दू खॉ के वारिसान के नाम चली आ रही थी तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 201 माफी दरगाह झाडूकस के नाम भर दिया जिसे तहसीलदार ने दिनांक 25.08.2004 को तस्दीक कर इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के खातेदारी अधिकारों को विधि विरूद्ध तरीके से विलोपित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 3 व 4 भोक्ता व उपभोक्ता की प्रविष्टी का है तथा कॉलम नम्बर 5 कृषक का है जिसमें घासी शाह का नाम कृषक के रूप में दर्ज है इससे साबित है कि घासी शाह तत्समय व उससे पूर्व उक्त आराजी को काश्त करता था जो कानूनी प्रावधानों के तहत खातेदार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 3 में भोक्ता की जगह सरकार का नाम आया है, घासी शाह पूर्व से उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है तथा अपीलान्ट के पिता ने उक्त प्रश्नगत आराजी घासी शाह के पुत्रों से उनका नाम विरासत के आधार पर खातेदारी में जर्द होने से किमतन क्रय की है तथा क्रय के आधार उक्त आराजी जरिये नामान्तरकरण क्रेता के नाम दर्ज हुई है जिसको हटाने का कृत्य क्लरीकल मिस्टेक की तारीफ में आता है जिसका दुरूस्त न कर अधीनस्थ न्यायालय ने भयंकर कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट व प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजीयात की खातेदारी दिनांक 31.12.1991 के राजस्व ग्रुप–6 परिपत्र की गलत व्याख्या कर उसकी मंशा के विरूद्ध तरीके से खत्म की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि राज्य सरकार ने दिनांक 25.11.2011 को परिपत्र जारी कर माफी की स्थिति को भी स्पष्ट किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों, दस्तावेज पर बिना मनन किये ही उक्त परिपत्र की मंशा के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2017 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रक्रियाओं के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को पूर्णतः स्वीकार फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015 से 2019 में उक्त आराजीयात माफी दरगाही झाड़ूकस के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि माफी की है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार माफी मंदिर नाबालिंग शाश्वत होने से किसी भी माफी की आराजी को किसी भी व्यक्ति के नाम कानूनन नही किया जा सकता तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 व जिला कलक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 01.01.1992 व देवस्थान विभाग के पत्र दिनांक 02.04.2003 की अनुपालना में तहसीलदार फुलेरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 201 तस्दीक किया गया है जो लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में नही आने से अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2019 में उक्त आराजीयात माफी दरगाह झाड़ूकस के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा माफी मंदिर नाबालिंग शाश्वत होने से किसी भी माफी की आराजीयात को किसी भी निजी व्यक्ति के नाम नही किया जा सकता इसीलिये राज्य सरकार के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 25.08.2004 स्वीकार किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरूस्ती भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की तारीफ में नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है और अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है एवं यदि नामान्तरकरण संख्या 201 दिनांक 25.08.2004 से अपीलार्थी के किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार प्रभावित हो रहे हो तो इसके लिये अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अपील/नियमित वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

7.11.22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।